केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली /Head Quarters, New Delhi
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

फ. क्र. 11-E-11055(HM)/1/Reserve/2024-Estt-II/2128 दिनांक: 12.11.2024

ज्ञापन / MEMORANDUM

विषय: प्राथमिक शिक्षक (PRT) से प्रधान अध्यापक/अध्यापिका (HM) के पद पर वर्ष 2023 तक के लिए विभागीय पदोन्नति (Reserve पैनल) / Departmental Promotion upto the year 2023 from the post of Primary Teacher (PRT) to the post of Head Master (HM) – Reserve Panel.

सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्राथमिक शिक्षकों (PRT) को प्रधान अध्यापक/अध्यापिका (HM) के पद पर सातवें वेतन आयोग के अनुरूप लेवल 07-(7CPC) में पदोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है । इस विभागीय पदोन्नति पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए कॉलम 7 में उल्लेखित केन्द्रीय विद्यालय में उन्हे पदस्थ किया गया है। उन्हें इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के लिए बिना-शर्त अपनी स्वीकृति (Unconditional Acceptance) को इस कार्यालय को दिनांक 19.11.2024 तक उचित माध्यम से मेल आई.डी. kvshqe2section@gmail.com पर प्रेषित करें एवं दिनांक 26.11.2024 तक कार्यभार ग्रहण कर लें अन्यथा पदोन्नति का प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त माना जाएगा और भविष्य में इस सबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। साथ ही केविसं (मु.) के पत्र संख्या 11055/3/2015/KVS (HQ)/RPS/619 dated 18.08.2015 के अनुसार दिनांक 27.11.2024 से उन्हें 01 वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा एवं उनकी वरिष्ठता में परिवर्तन होगा।

पदोन्नत कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई / सतर्कता जांच व अन्य दंडात्मक प्रक्रिया लागू अथवा विचारधीन नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध उपरोक्त कार्रवाई विचाराधीन है तो उसको कार्यमुक्त न किया जाए व इस संबंध में के॰वि॰सं॰ (मुख्यालय) को तत्काल सूचित किया जाए।

RESERVE PANEL FOR THE POST OF HEAD MASTER (H.M.) UP TO THE YEAR 2023

RESERVE PANEL (UR CATEGORY) FOR THE YEAR 2023

S. No.	Sen. No. 01.01.23	Emp. Code	Name of the teacher	Date of Birth (DD/MM/YYYY)			Name of the KV (Presently Working)	Name of the KV where posted on promotion as HM
1.	2.	3.	4.	5.			6.	7.
1.	266	26480	NEELAM DWIVEDI	11	5	1965	OF Murad Nagar	NFC Vigyan Vihar (Shift-I), Delhi (1429)
2.	267	36360	RATNA BASU	9	7	1967	No.2 Kharagpur	No.2 Kharagpur (1261)
3.	269	38078	BHARATI SHUKLA	23	2	1965	Army Area Pune	NDA Khadak Vasla (1231)
4.	271	39513	NAMITA TANEJA	23	3	1965	CME Pune	ONGC Panvel, Mumbai (1218)
5.	276	38854	KHYATI MERCHANT	1	2	1965	Koliwada, Mumbai	Koliwada, Mumbai (1216)
6.	278	23997	SANTOSH VERMA	27	6	1965	No.1 Delhi Cantt. (Shift-1)	No.2 Delhi Cantt. (Shift-II) (1410-II)
7.	279	15771	ARCHANA PARASHAR	7	3	1966	No.2 Bhopal	No.3 Bhopal (Shift-II) (1094-II)

(Total 07 cases)

12/11/2024

RESERVE PANEL (SC CATEGORY) FOR THE YEAR 2023								
S. No.	Sen. No. 01.01.23	Emp. Code	Name of the teacher	Date of Birth (DD/MM/YYYY)			Name of the KV (Presently Working)	Name of the KV where posted on promotion as HM
1.	2.	3.	4.	5.			6.	7.
1.	375	24390	MANJU SINGH	10	1	1966	KNN Ghaziabad (Shift-II)	Andrews Ganj (Shift-II), Delhi (1404-II)

(Total 01 case)

1. संबन्धित कर्मचारी की केवल बीमारी/प्रसूति संबंधी कारणों के अलावा किसी भी अन्य कारण के आधार पर पद ग्रहण करने की उक्त दी गई अंतिम तिथि में कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी, तथापि, बीमारी/प्रसूति से संबन्धित चिकित्सा प्रमाण पत्र, शासकीय अस्पताल/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अस्पताल /सैनिक अस्पताल/कमान अस्पताल, जैसा भी प्रकरण हो, के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सिविल सर्जन द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये। संबन्धित कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी ऐसी कोई भी प्रार्थना, यदि हो तो, के.वि.सं. (मु.) को उचित माध्यम से मेल आई.डी. **kvshqe2section@gmail.com** पर दिनांक **19.11.2024** तक प्राप्त हो जानी चाहिए।

2. **यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दी गई पदस्थापना के स्थान में परिवर्तन/संशोधन से सबंधित किसी भी आवेदन/प्रतिवेदन पर (उक्त बिन्दु क्र.1 के अलावा), किसी भी परिस्थिति में कोई भी विचार नहीं किया जाएगा व दिये गए समयावधि के पश्चात पदोन्नति के इस प्रस्ताव को स्वतः ही निरस्त माना जाएगा तथा भविष्य में इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।**

विभागीय पदोन्नति पर यह पदस्थापना सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।

12/11/2024

(सौरभ जेटली)
सहा. आयुक्त (स्थापना-II &III)

वितरण:

(i) संबन्धित कर्मचारी को इस निर्देश के साथ कि, वे अपनी पदोन्नति पर पदस्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृत करने संबंधी लिखित स्वीकृति-पत्र (बिना-शर्त) दिनांक 19.11.2024 तक प्रेषित कर दिनांक 26.11.2024 तक कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा इस ज्ञापन का उपरोक्त बिन्दु 2 लागू माना जाएगा तथा भविष्य में उनकी पदोन्नति पर नियमानुसार कदम उठाए जाएँगे।

(ii) संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय/ संभागीय कार्यालय (कॉलम क्र.6) जहां से कर्मचारी कार्यमुक्त हो रहा के प्राचार्य/ उपायुक्त को इस निवेदन के साथ कि :

(iii) वे उनके कार्यालय/विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से पहले, पदस्थापित विद्यालय/संभागीय कार्यालय / मुख्यालय (कॉलम क्र.7) जहां कर्मचारी पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने जा रहा है वहाँ पर **प्रधान अध्यापक/अध्यापिका (HM)** पद की रिक्ति है या नहीं यह सुनिश्चित कर लें, तत्पश्चात उस कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। यदि उस पद की रिक्ति नहीं है तो, इसकी सूचना के.वि.सं.(मु.) को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से) प्रेषित करें व उस कर्मचारी को कार्यमुक्त ना करें।

(iv) संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय/संभागीय कार्यालय (कॉलम क्र.6) जहां से कर्मचारी कार्यमुक्त हो रहा है/ कार्यभार ग्रहण (कॉलम क्र.7) कर रहा है, से सबंधित कर्मचारी की कार्यभार मुक्ति / कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के.वि.सं. (मु.) को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से मेल आई.डी. kvshqe2section@gmail.com पर) प्रेषित करें।

(v) वे कर्मचारी की कार्यभार मुक्ति से पहले पुनः ये सुनिश्चित कर लें कि संबन्धित कर्मचारी की सभी योग्यता **प्रधान अध्यापक/अध्यापिका (HM)** के पद हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार है या नहीं, विसंगति होने पर इसकी सूचना को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से) के.वि.सं.(मु.) को प्रेषित करें व उस कर्मचारी को कार्यमुक्त ना करें।

(vi) संबन्धित कर्मचारी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति से संबन्धित पदोन्नति पर पदस्थापित हो रहा है तो संबन्धित जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन भी कर लें। कोई भी विसंगति होने पर इसकी सूचना के.वि.सं.(मु.) को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से) प्रेषित करें।

(vii) पदोन्नत कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई / सतर्कता जांच व अन्य दंडात्मक प्रक्रिया लागू अथवा विचारधीन नहीं होनी चाहिए । यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध उपरोक्त कार्रवाई विचाराधीन है तो उसको कार्यमुक्त न किया जाए। व इसकी सूचना के.वि.सं.(मु.) को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से) प्रेषित करें।

(viii) सभी संभागीय कार्यालय के वित्त अधिकारी, सूचनार्थ।

(ix) संयुक्त आयुक्त (प्रशासन/कार्मिक), के.वि.सं. (मु.) सूचनार्थ।

(x) सहायक आयुक्त, (ई.डी.पी. प्रकोष्ठ), के.वि.सं.(मु.) को इस निवेदन के साथ कि वह इस ज्ञापन को के.वि.सं.(मु.) की वेब-साइट पर प्रकाशित करें।